बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर

कार्यपरिषद्

की चतुर्थ बैठक

दिनांक 04.06.2011 के कार्यवृत्त

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
BASTAR VISHWAVIDYALAYA, JAGDALPUR
(धरमपुरा) जिला – बस्तर (छ.ग., भारत) 494005
(Dharampura) Distt.-Bastar (C.G., India) 494005
Phone 07782-239037, Fax 07782-239037, www.bvvjdp.ac.in

क्रमांक /787/ब.वि.वि./कार्य.परि./2010 जगदलपुर, दिनांक 08/06/2011

प्रति,

समस्त सम्माननीय सदस्यगण,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्य–परिषद के
जिला–बस्तर, छत्तीसगढ़

विषयः– **बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 04.06.2011 के कार्यवृत्त का प्रेषण।**

महोदय/महोदया,

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, छत्तीसगढ़ के कार्य परिषद की चतुर्थ बैठक दिनांक 04.06.2011 को संपन्न हुई। बैठक में हुई चर्चा एवं निर्णय की विस्तृत कार्यवृत्त आपकी ओर सादर प्रेषित की जा रही है।

(आदेशानुसार)
08/06/11
कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / /ब.वि.वि./कार्य.परि./2010 जगदलपुर, दिनांक ....../06/2011

01. बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कार्य–परिषद के सम्माननीय सदस्य श्री/श्रीमती.. .... को सूचनार्थ।
02. माननीय कुलपतिजी के निजसहायक, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को सूचनार्थ।
03. समस्त विभाग प्रमुख, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ।

कुलसचिव,
बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छ.ग.)

बस्तर विश्वविद्यालय,जगदलपुर

(धरमपुरा) जिला—बस्तर (छ0ग0) पिन 494005

कमांक/787/ब.वि.वि./2011

जगदलपुर, दिनांक 08/06/2011

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर छत्तीसगढ़ के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04/06/11 का कार्यवृत्तः—

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24)

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित थेः—

1. प्रो. श्रीमती जयलक्ष्मी ठाकुर	—	अध्यक्ष
2. पदमश्री धर्मपाल सैनी	—	सदस्य
3. प्रो. अब्दुल नसीर खान	—	सदस्य
4. श्री टी. कोंडलराव	—	सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) व्ही. विजयलक्ष्मी	—	सदस्य
6. डॉ. एम.आई मेमन	—	सदस्य
7. प्रो. एस.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
8. फादर टी.जे. पाल	—	सदस्य
9. डॉ. डी.एन. मेहर	—	सदस्य
10. श्री एस.के. चक्रवर्ती, उप सचिव वित्त छ.ग. शासन	—	सदस्य
11. डॉ. जे.के. जैन	—	सचिव

<u>विषय कमांक</u>—1 विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की तृतीय आपात बैठक दिनांक 19/02/11 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना ।

निर्णयः— विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की तृतीय आपात बैठक दिनांक 19/02/11 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

विषय कमांक–2 विद्या परिषद की स्थायी समिति का अनुमोदन।

निर्णयः– कार्यपरिषद के सदस्यों द्वारा विद्यापरिषद की स्थाई समिति का अनुमोदन किया गया।

विषय कमांक–3 पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पारित पारिश्रमिक के नये संशोधन दरों को यथावत बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा मान्य किये जाने विषयक (अध्यादेश कमांक–5 के परिशिष्ट में परीक्षा कार्यो के लिये उल्लेखित पारिश्रमिक संशोधन बावत)।

निर्णयः– प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय कमांक–4 शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्तेवाड़ा में वार्षिक परीक्षा 2010 –11 में वीक्षक के साथ घटित मारपीट व अभ्रद्रतापूर्ण व्यवहार की घटना पर दोषी छात्रों के विरूद्व संज्ञान लिये जाने विषयक।

निर्णयः– घटना की सभी सदस्यों द्वारा निंदा की गई तथा प्रकरण को अगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया।

विषय कमांक–5 शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपट्नम में स्नातकोत्तर कक्षाओं की सत्र 2011–12 से स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र निरस्त किये जाने विषयक।

निर्णयः–प्रस्ताव को मान्य किया गया।

विषय कमांक–6 बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की अध्ययनशालाओं हेतु उपकरण व पुस्तकें कय किये जाने विषयक।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं हेतु पुस्तकों का कय GOC के तहत् एवं उपकरणों की खरीदी नियमानुसार टेण्डर प्रकिया के द्वारा की जाय।

विषय कमांक–7 बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा जारी धनादेशों में संयुक्त हस्ताक्षर (Joint Signature) प्रणाली लागू किये जाने विषयक।

निर्णयः– प्रस्ताव को मान्य किया गया साथ ही सदस्यों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि रू. 5000/– तक के धनादेश सहायक कुलसचिव के हस्ताक्षर से जारी किये जा सकेगें व रू. 5000/– से अधिक के धनादेशों पर सहायक कुलसचिव एवं कुलसचिव के संयुक्त हस्तक्षर होगें। भविष्य में विश्वविद्यालय में वित्त अधिकारी की नियुक्ति होने पर सहायक कुलसचिव के स्थान पर वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर होगें।

विषय कमांक–8 बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में कुलपति चयन हेतु कार्यपरिषद से एक सदस्य का नाम सर्वसम्मति से राजभवन भेजे जाने विषयक।

निर्णयः– विषय सूची से विलोपित किया गया।

विषय कमांक–9 अनुचित साधन समिति के गठन की स्वीकृति।

निर्णयः– अनुमोदित किया गया।

विषय कमांक–10 डॉ संजीवन कुमार व्याख्याता वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा CTCRI त्रिवेंद्रम में जनवरी 21 से 23 तक आयोजित सेमीनार में भाग लेने पर हुए कुल व्यय की राशि पर स्वीकृति प्रदान करने प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– निर्णय लिया गया कि राज्य शासन के यात्रा भत्ता नियमों के अनुसार ही स्वीकृति दी जावे।

विषय कमांक–11 विश्वविद्यालय के विश्रामगृह में नियमित रूप से रहने वाले विश्वविद्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी के लिये निर्धारित दर से आधे दर पर भुगतान लेकिन बिजली व पानी का भुगतान पृथक रूप से करने बावत् प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक–12 माननीया अध्यक्ष महोदया, की अनुमति से अन्य विषय।

विषय क्रमांक–01 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर के अन्तर्गत शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर तथा शासकीय भानुप्रतापदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कांकेर में L.LB. विषय के पाठ्यक्रम संकाय के रूप में विद्यमान है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से पृथक होने के पश्चात् इस विश्वविद्यालय में लागू L.LB. के छात्र/छात्राओं के समक्ष B.C.I. से इस विश्वविद्यालय की सम्बद्वता न होने के कारण उत्तीर्ण विद्यार्थियों की डिग्री पर मान्यता संबंधी प्रश्नचिन्ह लग गया है। अतः इस दिशा में B.C.I. से सम्बद्वता हेतु प्रयास किये जा रहे है। इसी प्रयास की कड़ी में प्रारंभिक स्तर पर संबंधित महाविद्यालयों के B.C. I. के दल द्वारा निरीक्षण हेतु रू. 1.00 लाख निरीक्षण शुल्क व रू. 5000/–बतौर आवेदन शुल्क के रूप में प्रेषित किया जा चुका है। कृपया सूचना ग्रहण करें।

निर्णयः– B.C.I. से संबंधित जानकारी से कार्यपरिषद अवगत हुई तथा सूचना ग्रहण की।

विषय क्रमांक –02 शासकीय सेवकों की यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्तों की दरों का पुनर्रीक्षण छ.ग. शासन के वित्त विभाग द्वारा प्रसारित आदेश क्रमांक 45/सी–18029/वित्त/नियम/चार/2011, रायपुर दिनांक 01/03/2011 के तहत् जारी किये आदेश को मान्य करने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः– प्रस्ताव मान्य किया गया।

विषय क्रमांक –03 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर की वार्षिक परीक्षा 2010–11 की संक्षिप्त व घोषित परिणामों की जानकारी कृपया सूचना ग्रहण करें।

निर्णयः– कार्यपरिषद द्वारा संबंधित सूचना ग्रहण की गई।

विषय क्रमांक –04 बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर में कार्यरत समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन अंतर की राशि (एरियर्स) का भुगतान किये जाने की स्वीकृति हेतु।

निर्णयः– प्रस्ताव मान्य किया गया।

कुलसचिव

पृ. क्रमांक /788 /ब.वि.वि. /2011 जगदलपुर, दिनांक 08 /06/ 2011

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, राजभवन रायपुर, छ.ग. को उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ।
2. माननीया कुलपति महोदया, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर को सूचनार्थ।
3. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय डी.के.एस. भवन, रायपुर को सूचनार्थ।
4. कार्य परिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यगणों को सूचनार्थ।
5. बस्तर विश्वविद्यालय के समस्त विभाग प्रमुखों को सूचनार्थ।

8/06/11

कुलसचिव

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर (छत्तीसगढ़) के कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04/06/11 हेतु विषय सूची:–

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24)

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर (छ.ग.) के कार्यपरिषद की तृतीय बैठक दिनांक 19/02/11 को महामहिम की बस्तर विश्वविद्यालय में प्रथम आगमन को लेकर आहूत की गई थी। महामहिम का यह प्रवास काफी उत्साहजनक रहा। विश्वविद्यालय की समस्याओं को काफी सकारात्मक तरीके से उनके समक्ष प्रस्तुत भी किया गया।

उन्होने विश्वविद्यालय की समस्याओं को बड़े गौर से सुना व शासन से चर्चा कर हर संभव मदद हेतु आश्वस्त भी किया।

मैं बस्तर विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को इस प्रयास हेतु धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी। हमारे कार्यपरिषद के सम्मानीय सदस्य मान. सतोष बाफनाजी के उत्कृष्ट विधायक चुने जाने पर भी बस्तर विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएँ।

बैठक में निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा एवं निर्णय लिया जाना है।

<u>विषय क्रमांक 01</u>

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की तृतीय आपात बैठक दिनांक 19/02/11 के कार्यवृत्त की पुष्टि करना (सूची संलग्न)।

<u>विषय क्रमांक 02</u>

विद्या परिषद की स्थायी समिति का अनुमोदन।

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26 की उपधारा (2) के तहत विद्या परिषद की स्थाई समिति के गठन का प्रावधान होता है। प्रावधानानुसार समिति गठित कर ली गई है। प्रारूप संलग्न, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

विषय कमांक 03

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा पारित पारिश्रमिक के नये संशोधन दरों के यथावत बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा मान्य किये जाने विषयक (अध्यादेश कमांक–5 के परिशिष्ट में परीक्षा कार्यो के लिये उल्लेखित पारिश्रमिक संशोधन बावत्)।

बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर प्रदेश की राजधानी, रायपुर से काफी दूर आदिवासी अंचल में स्थित विश्वविद्यालय है। इसके क्षेत्रधिकार के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालयों में प्राध्यपकों/विषय विशेषज्ञों की काफी कमी है। ऐसी परिस्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, प्रायोगिक परीक्षाओं के संचालन, प्रश्नपत्रों की सेटिंग, अनुवाद आदि अनेक प्रकार के कार्यो हेतु दूरस्थ विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के प्राध्यापकों पर निर्भर रहना पड़ता है। परीक्षा कार्यो से जुड़े हुये विभिन्न समुदायों द्वारा आग्रह की जाती रही है कि पारिश्रमिक की पुरानी दर वर्तमान समय में काफी कम है।

चूंकि बस्तर विश्वविद्यालय पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर से ही पृथक हुआ भाग है, और जबकि पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के परीक्षा कार्यो के पारिश्रमिक में संशोधन करते हुये वृद्धि की गई है तो ऐसी स्थिति में इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है। अतः कार्यपरिषद के निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत (प्रपत्र दो संलग्न है।)

विषय कमांक–04

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दन्तेवाड़ा में वार्षिक परीक्षा 2010 –11 में वीक्षक के साथ घटित मारपीट व अभ्रद्रतापूर्ण व्यवहार की घटना पर दोषी छात्रों के विरूद्व संज्ञान लिये जाने विषयक।

शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दंतेवाड़ा में वार्षिक परीक्षा 2010–11 में वीक्षक श्री अनुप कुजूर संविदा सहा. प्रा. के साथ हुई मारपीट की घटना को कुलपति बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा संज्ञान में लिया जाकर एक जांच समिति गठित की गई। जांच समिति द्वारा दिनांक 19/05/11 को पीड़ित पक्ष तथा संबंधितों का बयान लिया जाकर जांच प्रतिवेदन माननीया कुलपति को दिया गया। महाविद्यालय प्रशासन के द्वारा भी घटना से संबंधित एफ.आई.आर. दर्ज करा दिया गया है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत अनुसार दोषी पक्षों से भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है। पक्ष प्राप्त होते ही कार्यपरिषद में माननीय सदस्यों के निर्णय हेतु प्रकरण रखा जायेगा। कृपया सूचना ग्रहण करना चाहे।

विषय कमांक 05

शासकीय इंद्रावती महाविद्यालय भोपालपट्नम में स्नातकोत्तर कक्षाओं की सत्र 2011–12 से स्वाध्यायी परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा केन्द्र निरस्त किये जाने विषयक।

विगत वर्षो से विश्वविद्यालय व शासन की नजर में यह बात देखने में सतत् आ रही है कि भोपालपट्नम में एक भी नियमित शैक्षणिक स्टाफ के न होने के बावजूद भी वहां से हजारों की संख्या में स्नातकोत्तर की परीक्षाओं में छात्र/छात्रायें स्वाध्यायी परीक्षांर्थी के रूप में प्रविष्ट हो रहे हैं।

साथ ही यह भी देखने में आ रहा है कि परीक्षा में भोपालपट्नम क्षेत्र के आस–पास के तो सीमित परीक्षार्थी होते हैं लेकिन गीदम, जगदलपुर, बीजापुर, दन्तेवाड़ा तथा अन्य स्थानों से ज्यादा यह विचारणीय है कि जिस महाविद्यालय में नियमित प्राचार्य व एक भी शैक्षणिक स्टाफ नही है, बावजूद ऐसी कौन सी परिस्थितियॉं है कि इतनी संख्या में केन्द्र से स्वाध्यायी परीक्षार्थी शामिल हो रहे है।

अतः निर्णय हेतु प्रकरण प्रस्तुत।

विषय कमांक 06

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर की अध्ययनशालाओं हेतु उपकरण व पुस्तकें क्रय किये जाने विषयक।

बस्तर विश्वविद्यालय के अध्ययनशालाओं हेतु उपकरणों व पुस्तकों जिन्हें क्रय किया जाना आवश्यक है (सूची अवलोकनार्थ उपलब्ध है)।

1. वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला

अ. उपकरणों की संख्या :- 11

अनुमानित मूल्य :- 2,21,000.00

ब. पुस्तकों की संख्या :- 126

अनुमानित मूल्य :- 2,26,277.30

2. मानवविज्ञान एवं जनजातीय अध्ययनशाला

अ. उपकरणों/अभिकर्मक सूची अनुसार

अनुमानित मूल्य :- 2,20,200.00

ब. पुस्तकों की संख्या :- 1834

अनुमानित मूल्य :- 2,68,925.00

3. ग्रामीण प्रौद्योगिकी अध्ययनशाला

अ. उपकरणों/अभिकर्मक सूची अनुसार

अनुमानित मूल्य :- 2,00800.00

ब. पुस्तकों की संख्या :- 320

अनुमानित मूल्य :- मूल्य अप्राप्त

प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत (संलग्न GOC की रिपोर्ट)

विषय क्रमांक 07

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर द्वारा जारी धनादेशों में संयुक्त हस्ताक्षर (Joint Signature) प्रणाली लागू किये जाने विषयक।

बस्तर विश्वविद्यालय की स्थापना से लेकर आज तक वित्त अधिकारी/लेखा अधिकारी की पदस्थापना सेटअप के अभाव में नही हो सकी और इस संबंध में शासन से लगातार पत्र व्यवहार व व्यक्तिगत रूप से संपर्क भी किया जा रहा है।

जबकि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, में यह व्यवस्था लागू है। अतः वित्तीय पारदर्शिता व अन्य

विश्वविद्यालयों में लागू व्यवस्था के अनुरूप ही प्रणाली व्यवहार में लाये जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय कमांक 08

बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर में कुलपति चयन हेतु कार्यपरिषद से एक सदस्य का नाम सर्वसम्मति से राजभवन भेजे जाने विषयक।

राजभवन सचिवालय छ.ग. से प्राप्त पत्र के परिपालन हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत (संलग्न राजभवन का पत्र एवं कार्य परिषद सदस्यों की सूची)

विषय कमांक 09

अनुचित साधन समिति के गठन की स्वीकृति।

चूंकि परीक्षाओं के दौरान नकल आदि की घटनाएँ भी होती है। अतः विश्वविद्यालयीन अध्यादेश कमांक–5 (20)VI के अन्तर्गत एक कमेटी का गठन किया जाता है जो इन प्रकरणों पर नियमानुसार विचार कर निर्णय देती है। प्रकरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत (संलग्न)।

विषय कमांक 10

डॉ संजीवन कुमार व्याख्याता वानिकी एवं वन्यजीव अध्ययनशाला बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर द्वारा CTCRI त्रिवेंद्रम में जनवरी 21 से 23 तक आयोजित सेमीनार में भाग लेने पर हुए कुल व्यय की राशि पर स्वीकृति प्रदान करने प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत (संलग्न व्यय पत्रक)।

विषय कमांक 11

विश्वविद्यालय के विश्रामगृह में नियमित रूप से रहने वाले विश्वविद्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी अतिथियों के लिये निर्धारित दर से आधे दर पर भुगतान लेकिन बिजली व पानी का भुगतान पृथक रूप से करने बावत् प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

विषय कमांक 12

माननीया अध्यक्ष महोदया, की अनुमति से अन्य विषय।

कुलसचिव